पत्रांकः— 3-ए-2-वे०पु०-06/12........................../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

21 AUG 2017

महालेखाकार (ले० एवं ह०)

महालेखाकार का कार्यालय,

वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक : ....

विषय :- **बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अधीन सहायक अभिलेख निदेशक के वेतनमान संशोधन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति की अनुशंसा प्राप्त की गई ।

दिनांक- 01.01.06 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी संकल्प संख्या-630, दि0-21.01.10 निर्गत किया गया है । उक्त संकल्प के द्वारा सहायक अभिलेख निदेशक पदनाम से वेतन पुनरीक्षण नहीं हो सका । वस्तुतः यह पद प्रशिक्षण-सह प्रदर्शनी पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी के समकक्ष एवं पुराभिलेखापाल/सहायक पुराभिलेखापाल/शोध-सहायक से प्रोन्नति का पद है । इस मूल कोटि के पद के लिए दि0 01.01.06 के प्रभाव से PB-2+4200/- का वेतनमान स्वीकृत है । पुनः प्रथम प्रोन्नति के पद का वेतनमान PB-2+4200/- ही स्वीकृत है ।

वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय समिति के अनुशंसा की प्रोन्नति सम्बन्धी अवधारणा से प्रोन्नति एवं मूल कोटि के वेतनमान के एक हो जाने से विसंगति उत्पन्न हो गई है। फलस्वरूप सहायक अभिलेख निदेशक/प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी पदाधिकारी/क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी के वेतनमान के संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन था ।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा दि0 01.01.06 के प्रभाव से पुराभिलेखापाल/सहायक पुराभिलेखापाल/शोध सहायक, वेतनमान PB-2+4200/- से प्रथम प्रोन्नति के पद क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी एवं समकक्ष पद सहायक अभिलेख निदेशक/प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी के लिए PB-2+4200/- का संशोधित वेतनमान PB-2+4600/- की स्वीकृति दी जाती है ।

उक्त संशोधित/स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0-630, दि0-21.01.10 के द्वारा स्थापित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Desktop/Letter Folder\Kamakhya n letter

ज्ञापांक : 3-ए-2-वे०पु०-06/12 — 8049-वि० पटना, दिनांक : 6/8/12........

प्रतिलिपि : सभी **प्रधान** सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदा0/सभी जिला लेखा पदा0/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Arun Kumar Singh.
6/8/12

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।